

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) एसीपी/83-III/अलेसे-11/8852-79

दिनांक-31.07.2012

कार्यालय आदेश संख्या 144/2012-13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 08.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय एसीपी पी.बी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम लेखाकार (सर्वोपरी)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भगत राम मोदी	24.04.1956	11.03.1985	11.03.2012	
2.	दुर्गावत शर्मा	01.01.1953	11.03.1985	11.03.2012	
3.	कैलाश चन्द जैन	01.06.1960	13.09.1984	13.09.2011	
4.	स्मेशचन्द खण्डेलवाल	08.04.1953	11.03.1985	11.03.2012	
5.	श्याम लाल जागिड़	21.03.1961	11.03.1985	11.03.2012	
6.	रूपलाल काबरा	05.01.1954	11.03.1985	11.03.2012	
7.	अशोक कुमार जैन	06.07.1960	11.03.1985	11.03.2012	
8.	भगवानाराम उपध्याय	02.03.1960	11.03.1985	11.03.2012	
9.	चतुर्भुज कुमावत	02.09.1960	11.03.1985	11.03.2012	
10.	घनश्याम शर्मा	01.03.1954	11.03.1985	11.03.2012	
11.	हरिपाल सिंह सोलंकी	21.01.1957	11.03.1985	11.03.2012	
12.	श्रीमती मंजू गुप्ता	22.08.1956	11.03.1985	11.03.2012	
13.	नवाब खां	10.01.1962	11.03.1985	11.03.2012	
14.	प्रहलाद राम	01.01.1957	11.03.1985	11.03.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 7 से 14 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य- मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 07.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

shul